2020-25

निर्यात नीति - उत्तर प्रदेश

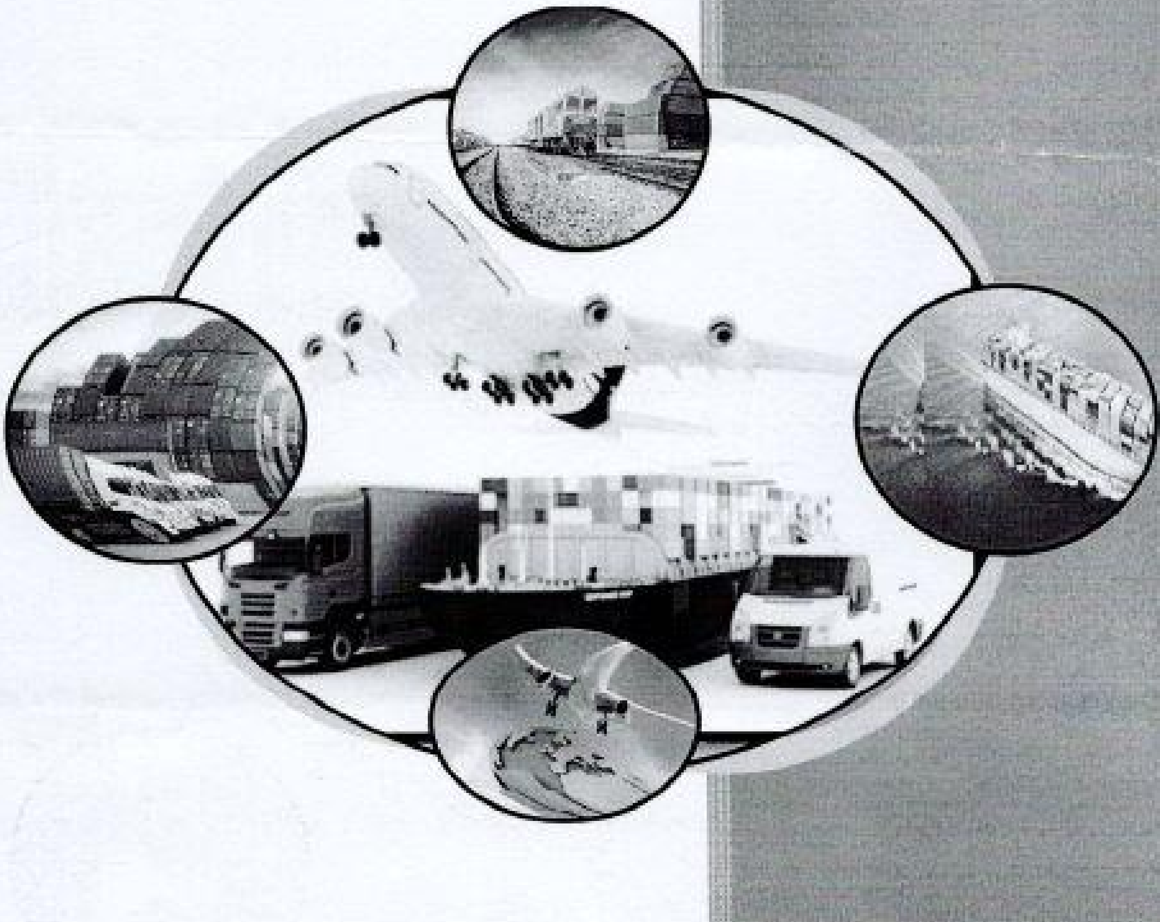

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25

<u>अनुक्रमणिका</u>

1. पृष्ठभूमि
2. नीति के उद्देश्य
3. क्रियान्वयन रणनीति
4. नीति का क्रियान्वयन
5. नीति क्रियान्वयन हेतु संस्था
6. निर्यात के फोकस क्षेत्र
7. निर्यात हेतु प्रोत्साहन
8. निगेटिव लिस्ट में सम्मिलित इकाईयों के सम्बन्ध में व्यवस्था
9. निर्यातको को उनके आयात/निर्यात कंसाइन्मेन्ट के निर्बाध परिवहन हेतु ग्रीन कार्ड की सुविधा
10. सुविधायें
11. ब्राण्ड इक्विटी (उ0प्र0 के ब्राण्ड का प्रोत्साहन)
12. निर्यातको हेतु मार्केट रिसर्च तथा डाटा बेस तैयार करना
13. सेवा क्षेत्र से निर्यात हेतु प्रोत्साहन
14. सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित पाठयक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
15. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण
16. क्षमता विकास
17. निर्यात के क्षेत्र में ''बेस्ट प्रैक्टिसेज से निर्यातकों को परिचित कराने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम
18. उ0प्र0 कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25

1. पृष्ठभूमि

वर्ष 2017-18 की अवधि में देश में होने वाला उत्पाद एवं सेवाओं का सम्मिलित निर्यात US$ 498.61 बिलियन था, जोकि विगत वर्ष की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2017-18 के मध्य निर्यात के क्षेत्र में 6.16 प्रतिशत की CAGR (Compound Annual Growth Rate) अर्जित हुई है जोकि देश को US$ 500 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। देश से होने वाले निर्यात को बढ़ावा दिए जाने हेतु कई उपाय किए गए हैं जिनमें व्यापार को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने, संरचनात्मक सुविधाओं के विकास, मानव संसाधन विकास, पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु डिजीटाइजेशन को प्रोत्साहन, उद्यमिता विकास के साथ-साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस प्रमुख हैं। वस्तु-निर्यात में 2015-16 से ही निरंतर वृद्धि देखी गयी जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2016-17 में डॉलर के रूप में 5.17 प्रतिशत तथा 2017-18 में 10.03 प्रतिशत आंकी गयी है। वर्ष 2018-19 में भारत का सकल निर्यात 314 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है जिसे देखते हुए आगामी 5 वर्षों में भारतीय सकल निर्यात को 500 बिलियन यूएस डालर के स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 में 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के साथ सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित की गयी है जो कि भारत के सकल मूल्यवर्धन (GVA) का 54.3 प्रतिशत है। भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम लांच की गयी है जिसके अन्तर्गत सूचना तकनीकी/आई.टी संचालित सेवायें, पर्यटन तथा आतिथ्य, वित्तीय सेवायें, चिकित्सीय पर्यटन, यातायात एवं लॉजिस्टिक सेवायें, लेखा एवं वित्त सेवायें, दृश्य श्रव्य सेवायें, विधिक सेवायें, संचार, निर्माण सम्बन्धित इंजीनियरिंग सेवाएँ, पर्यावरणीय सेवायें, शैक्षणिक सेवायें जैसी 12 महत्वपूर्ण सेवाओं को चिन्हित किया गया है ।

किसी देश/प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के विकास में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्यात न केवल महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है अपितु अतिरिक्त रोजगार सृजन का साधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश प्रतिष्ठा का भी निर्धारक होता है । इसी कारण निर्यात को अर्थ व्यवस्था के विकास का इंजन भी माना जाता है। उ0प्र0 भौगोलिक विशालता, जलवायुविक तथा सांस्कृतिक विविधता जनित उत्पादों की विशाल श्रृंखला, युवा शक्ति की ऊर्जा एवं हस्तशिल्प एवं कारीगरी की समृद्ध विरासत से सम्पन्न होने से निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से सर्वाधिक सम्भावनाशील है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी0 है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश का क्षेत्रफल फ्रांस के क्षेत्रफल का आधा, पुर्तगाल का तीन गुना, आयरलैण्ड का 4 गुना स्विट्ज़रलैण्ड का 7 गुना,

बेल्जियम का 10 गुना तथा इंग्लैण्ड के क्षेत्रफल से थोड़ा अधिक है । इस प्रकार प्रदेश की भौगोलिक विशालता एवं जलवायुविक तथा सांस्कृतिक विविधता से तैयार उत्पादों की विशाल श्रृखला अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदेश के उत्पादों हेतु विशाल मांग का अवसर उपलब्ध कराती है ।

प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है जो देश की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत है। जिसमें युवाशक्ति की भागीदारी पूरे देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की युवा शक्ति की विशाल ऊर्जा, हस्तशिल्प की विरासत के साथ ही आधुनिक तकनीकी ज्ञान से सम्पन्नता तथा उद्यमिता की भावना तथा ऊँची उड़ान के सपने प्रदेश को मानवीय संसाधनों की दृष्टि से वरदान है। प्रदेश से वर्ष 2017-18 में कुल रू0 88966.55 करोड़ का निर्यात हुआ है। इस प्रकार देश के निर्यात में 4.55 प्रतिशत योगदान के साथ देश का 5 वाँ सबसे बड़ा जबकि भू-आवद्ध राज्यों में प्रदेश सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है । देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत, प्रोसेस्ड मीट में 41 प्रतिशत, कालीन में 39 प्रतिशत तथा चर्म एवं चर्म उत्पाद में प्रदेश की 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है ।

प्रदेश से होने वाले कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है, तथा कृषि के उपरान्त सर्वाधिक रोजगार सृजन इसी क्षेत्र से होता है । प्रदेश में निर्यात विगत वर्षों की तुलना में बढ़ा है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में निर्यात की स्थिति राष्ट्रीय औसत के 1.51 प्रतिशत की तुलना में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की दृष्टि से 7.06 प्रतिशत तक हुई है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात अंश भी 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत हुआ है। उ0प्र0 भारत के अन्य निर्यातक प्रदेशों की सारणी में पांचवे क्रमांक पर है।

प्रदेश से किए जाने वाले निर्यात में प्रोसेस्ड फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन (13.5%), टेलीकाम संयंत्र (7.45%) तथा आरएमजी मैन मेड फाईबर्स (5.31%) प्रदेश से 2018-19 के निर्यात की जाने वाली शीर्ष तीन सामग्री रहे। उत्तर प्रदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, यूनाईटेड किंगडम, नेपाल, जर्मनी, चाइना, स्पेन, फ्रांस तथा मलेशिया को प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता है। प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। यह अर्थशास्त्र का प्रतिपादित सिद्धान्त हैं कि यदि मानव संसाधन को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाये तो यह किसी भी संस्थान या राष्ट्र के लिए चमत्कारिक अनुकूल परिणाम-प्रदान कर सकते हैं। उ0प्र0 का यह मानव संसाधन विभिन्न उद्यमों - यथा कृषि उद्योग, पर्यटन, हस्तकला आदि अनेक विधाओं में पारंगत है।

उ0प्र0 के अधिकांश जनपद देश के दो प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र- दिल्ली तथा कलकत्ता के निकट है। यहां की भूमि अपेक्षाकृत समतल है जो निर्यात सामग्रियों और सेवाओं के अभिवहन की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुकूल है। उ0प्र0 नेपाल के अति निकट है जो निर्यात हेतु अनुकूल है। विगत वर्ष प्रथम बार नेपाल को रु0 4014 करोड़ से अधिक मूल्य का निर्यात किया गया। अपने उत्तरी पड़ोसी देश चीन से भी द्विपक्षीय समझौता होने की स्थिति में भी प्रदेश में निर्यात की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। प्रदेश

में 6 राजकीय हवाई अड्डे हैं जो आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी में स्थित है। लखनऊ तथा वाराणसी से अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी संचालित हैं। मई 2018 में प्रदेश सरकार को मेरठ के जेवर ग्राम में नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का अनुमोदन केन्द्रीय नागरिक विमानपत्तन मंत्रालय से प्राप्त हो चुका है। इन सभी से प्रदेश निर्यात के लिए सर्वथा अनुकूल है।

भारत सरकार द्वारा देश में घोषित 100 स्मार्ट सिटीज में से सर्वाधिक अर्थात 13 प्रदेश की हैं। 2018-19 के केन्द्रीय बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कुल रु0 1650 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इससे रु0 50626 करोड़ के 1333 परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक पर्यावरण का सृजन होगा जो निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। औद्योगिकीकरण तथा नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 5 प्रमुख इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स को विकसित किया जा रहा है। इनमें से दो प्रमुख कोरीडोर्स - दिल्ली, मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स (DMIC) तथा अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स (AKIC) प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इन कोरीडोर्स से होने वाली आय को प्रदेश की जी0डी0पी0 में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जायेगा। दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (DMIC) इसके साथ ही 6 मेगा इण्डस्ट्रियल जोन, 3 पोर्ट्स और 6 हवाई अड्डे, एक 6 लेन इण्टरसेक्शन रहित एक्सप्रेस-वे जो दिल्ली से मुम्बई को जोड़ती है तथा कई पॉवर प्लान्ट्स विकसित किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में इसका 36000 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र आता है जो 12 जनपदों में स्थित है। ग्रेटर नोएडा इस कोरीडोर का प्रवेश द्वार है। इसका सर्वाधिक लाभ प्रदेश को ग्रेटर नोएडा में इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, दादरी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब, बोराकी में मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब के क्रम में प्राप्त हो रहा है। मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी इसी कोरीडोर के अनुकूल परिणाम है। अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स (AKIC) इसके आस-पास भी भारत सरकार ने इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, इन्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा लॉजिस्टिक हब की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रत्येक उद्योगों को चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो प्रचुर मात्रा में भूमि व जल की आवश्यकता होती है, उत्तर प्रदेश में इन दोनों संसाधनों की प्रचुरता उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से इसे अन्य राज्यों से पृथक करती है। यहां की उपजाऊ भूमि में उत्पादित कृषि उत्पाद उनके निर्यात हेतु उपयुक्त परिस्थितियां सृजित करते हैं। उ0प्र0 की धार्मिक धरोहर के रूप में यहां अयोध्या, मथुरा, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज आदि जनपद हैं। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ की भांति अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। उ0प्र0 अच्छे सौर चमक क्षेत्र में है तथा यहां विशेषतः पूर्वी उ0प्र0 में सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किये जाने की पर्याप्त क्षमता है। राज्य में

48 राष्ट्रीय राज मार्ग, हवाई अड्डे, रेल लिंक के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से अच्छी संचार व्यवस्था है। यह पूर्व में ही IT तथा IT's इलेक्ट्रानिक तथा सेमी कन्डक्टर उद्योगों की स्थापना से एक केन्द्र के रूप में विकसित हो चुका है। नोएडा इसका उदाहरण है। राज्य में 12 विशेष आर्थिक जोन्स संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या- 1337/18-4-2015-58(विविध)/14, दिनांक 04.9.2015 द्वारा उ0प्र0 निर्यात नीति 2015-20 घोषित की गयी है। भारत सरकार की प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति 2020-25 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनो की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, प्रदेश में विद्यमान सम्भावनाओं का उपयोग, युवाओं को रोजगार सृजन, निर्यात की दिशा में त्वरित वृद्धि तथा प्रदेश में निर्यात परक प्रोत्साहनात्मक वातावरण के सृजन आदि के उद्देश्य से उपयुक्त रणनीतियों को समावेशित करते हुए प्रदेश की निर्यात नीति तैयार की गयी है। वर्तमान नीति से पूर्व कोई विशेष निर्यात नीति प्रदेश में प्रचलित नहीं थी, ऐसे में प्रथम बार विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

2. <u>नीति के उद्देश्य</u>

(1) निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

(2) निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात सम्बन्धी आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना।

(3) राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास।

(4) निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) स्थानीय/देश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना।

(6) निर्यात सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।

3. **<u>क्रियान्वयन रणनीति</u>**- निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न रणनीति अपनायी जायेगी:-

i. भारत सरकार के विभिन्न निर्यात परक विभागों एव संस्थाओं जैसे निर्यात संवर्धन परिषदों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फेडरेशन ऑफ इण्डियन

एक्सपोर्ट आर्गनाईजेशन (FIEO), इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन (ITPO), नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इन्फारमेशन एण्ड प्रोडक्ट सेक्टोरल एसोसिएशन (NCTI), के बीच समन्वय सुदृढ़ करना। इस हेतु केन्द्र-राज्य समन्वय प्रकोष्ठ (Centre State Coordination Cell) की स्थापना किया जाना।

ii. उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से प्रदेश की इकाईयों को विपणन विकास सहायता हेतु वर्चुअल/फिजिकल मेला प्रदर्शनियों/बायर-सेलर मीट्स में प्रतिभाग करने में सहयोग करना।

iii. निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण- एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिक्ताओं को कम करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों कें निर्यात सम्बन्धी प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण और निर्यातकों की समस्याओं के निवारण में ब्यूरो द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाना।

iv. समर्पित जीएसटी सेल- निर्यातकों की शिकायतों के निस्तारण तथा अन्य निर्यात सम्बन्धी मामलों हेतु एक समर्पित जीएसटी सेल की स्थापना करना।

v. "मेक इन उ0प्र0, मेक इन इण्डिया" के ब्राण्ड का विकास एवं प्रोत्साहन।

vi. निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना।

vii. निर्यात की प्रबल संभानाओं वाले जनपदों के उत्पाद तथा सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु, उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।

viii. B2B Exchange की स्थापना जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी आन लाईन व्यापारिक सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

ix. क्लियरेन्स की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अच्छा रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को ग्रीन कार्ड देने की व्यवस्था प्रारम्भ किया जाना।

x. निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना विकास हेतु ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) की भांति राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ किया जाना।

xi. भारत सरकार की TIES योजना अन्तर्गत निर्यात उन्मुख जनपदो में निर्यात अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना।

xii. निर्यातकों को निर्यात का वातावरण तथा विश्व स्तरीय अवस्थापना प्रदान करने हेतु निर्यात की अधिक सम्भावना रखने वाले जनपदों में क्लस्टर/सेवा आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना किया जाना।

xiii. राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल पार्कों में स्थापित निर्यातक इकाईयों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो प्रदान किया जाना।

xiv. हस्तकला समूहों को प्रोन्नत करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा "एक जनपद एक उत्पाद" (ODOP) योजना लागू की गयी है। इसमें हस्तशिल्प समूहों को मार्जिन मनी, क्षमता विकास तथा तकनीकी अवस्थापना (रु0 15 करोड़ की CFC तक) हेतु सहायता दी जा रही है। ओडीओपी सीएफसी योजना अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों में से ओडीओपी उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने/उनके निर्यात को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्तावों को वरीयता प्रदान करना।

xv. ऐसे उत्पाद समूह जो ओडीओपी योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं हैं किंतु निर्यात की सम्भावना रखने वाले हों, को ब्यूरो द्वारा रु0 15 करोड़ तक की सीएफसी की स्थापना हेतु सहायता देने की रणनीति बनाना।

xvi. सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान किया जाना।

xvii. उद्योग एवं शैक्षणिक समुदायो/संस्थाओ तथा उत्पाद आधारित औद्योगिक संगठनों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जाना।

xviii. निर्यातकों को परिवहन लागत, विद्युत व्यय, बाजार विकास, प्रमाणीकरण इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।

xix. उ0प्र0 में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु एक विश्लेषणात्मक डाटाबेस का निर्माण करना।

xx. प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात अवस्थापना के विकास हेतु पब्लिक-प्राईवेट इनीशिएटिव को प्रोत्साहित करना।

xxi. राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन परिषद, राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति तथा जनपद स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों को संस्थागत सुदृढ़ीकरण प्रदान करना।

xxii. जिला निर्यात संवर्धन परिषद (DEPC) का गठन-जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा उपायुक्त सदस्य सचिव होंगे। जनपद के प्रमुख निर्यात इकाइयों के तथा प्रमुख औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी परिषद के सदस्य होंगे। परिषद द्वारा बैठकें आयोजित कर जनपद के निर्यात इकाइयों की समस्याओं का निदान किया जायेगा।

xxiii. उद्यमियों तथा राज्य के अधिकारियों में निर्यात सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार हेतु मांग के अनुसार क्षमता विकास की कार्यशालायें राज्य में विभिन्न जनपदों में आयोजित करना।

xxiv. उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मांग के सापेक्ष राज्य की अद्यतन तथा भावी निर्यात सम्भावनाओं को दर्शाते हुए प्रत्येक त्रैमास में एक रिपोर्ट का प्रकाशन।

xxv. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय ''जिला निर्यात बन्धु'' का गठन किया जाना जिसमें नीति से सम्बन्धित विषयों तथा अन्य अनिस्तारित मामलों पर विचार/निस्तारण किया जाना।

xxvi. ''जिला निर्यात बन्धु'' की बैठक को प्रत्येक त्रैमास में आयोजन किया जाना।

xxvii. प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय एक्सपोर्टर्स कानक्लेव का आयोजन कर प्रदेश के निर्यातकों की निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा निर्यात विकास की सम्भावनाओं की तलाश करना।

xxviii. एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु निर्यात सम्भावना वाले जनपदों में कम से कम बैंक की एक शाखा का निर्धारण जो सूक्ष्म व लघु इकाईयों को उपयुक्त दरों पर ऋण उपलब्ध करा सके।

xxix. विभिन्न क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से क्षेत्र/उत्पाद समूह वार परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाना तथा इन समितियों में निर्यात संवर्धन परिषदों, विशेषज्ञ संस्थाओं, केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न

विभागों के साथ-साथ विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रवासी भारतीय विभाग को भी सम्मिलित किया जाना।

4. **<u>नीति का क्रियान्वयन</u>**

i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

ii. इस नीति में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में, घोषित/स्वीकृत किए गए ऐसे प्रोत्साहन जिनके लिए राज्य सरकार पूर्व से ही प्रतिबद्ध है को सम्बन्धित लाभ प्राप्त किए जाने वाली इकाई से वापस नहीं लिया जायेगा तथा इकाई उस लाभ के लिए हकदार होगी।

5. **<u>नीति क्रियान्वयन हेतु संस्था</u>**

निर्यात नीति उ0प्र0 2020-25 के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश (EPBUP), 8 कैण्ट रोड कैसरबाग, लखनऊ द्वारा सम्पादित किए जाऐंगे।

6. **<u>निर्यात के फोकस क्षेत्र</u>**

देश के प्रत्येक जनपद को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किए जाने के विजन को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक जनपद का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को प्रारम्भ किए गए 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के निर्यात संभावनायुक्त उत्पादों का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन उत्पादों के इको सिस्टम का अध्ययन करने हेतु डाइग्नोस्टिक स्टडी कराई जा चुकी है तथा चिन्हित अपूर्णताओं (Identified Gaps) की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। इन योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित किए गए उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में सुधार तथा इनके उत्पादकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य का विकास कर

प्रदेश की एक्सपोर्ट बास्केट में विस्तार किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। निर्यात के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नवत् हैं:-

- हस्तशिल्प
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
- इंजीनियरिंग गुड्स
- हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल
- चर्म उत्पाद
- कालीन एवं दरियां
- ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद
- काष्ठ उत्पाद
- स्पोर्ट्स गुड्स
- रक्षा उत्पाद
- सेवा क्षेत्र
  - शिक्षा
  - पर्यटन
  - आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस
  - मेडिकल वेल्यू ट्रैवल्स
  - लॉजिस्टिक्स

7. <u>निर्यात हेतु प्रोत्साहन :</u>

7.1 <u>वित्तीय प्रोत्साहन-</u>

(7.1.1) बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत भारत के विकासशील देश की श्रेणी से हटाकर विकसित देशों की श्रेणी में लाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली चुनौतियों

से निपटने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाया जायेगा।

(7.1.2) राज्य सरकार द्वारा कन्फर्मिटी यूरोपियन (CE) चाईना कम्पलसरी सर्टीफिकेट (CCC) आदि निर्यातकों द्वारा कराये जाने वाले अनिवार्य प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय के 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रति इकाई, प्रति वर्ष) तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7.1.3) उत्तर प्रदेश एक भू-आच्छदित राज्य होने के कारण यहां से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को बंदरगाहों तक भेजने में अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है जिससे इन उत्पादों की निर्यात लागत अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों के उत्पादों की निर्यात लागत से तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण इनकी निर्यात सामर्थ्य प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। प्रदेश की इस भौगोलिक अवस्थिति से प्रदेश के निर्यातकों की निर्यात लागत में होने वाली वृद्धि में आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल भाड़े पर अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्यातकों द्वारा वहन की जाने वाली वर्तमान परिवहन लागत के सापेक्ष तार्किक बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस योजना के अन्तर्गत गेटवे पोर्ट माल भाड़ा अनुदान योजनान्तर्गत आई0सी0डी0 सुविधा विहीन जनपदो से ट्रक के माध्यम से निर्यात हेतु परिवहन के लिए अनुदान की मद में किसी वित्तीय वर्ष में पात्र निर्यातक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता बजट प्राविधान के अंतर्गत रखी जायेगी तथा किसी वित्तीय वर्ष में सृजित दायित्व को आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7.1.4) वायुमार्ग से भेजे जाने वाले निर्यात उत्पादों के परिवहन व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने विषयक राज्य सरकार द्वारा संचालित वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना को युक्तिसंगत बनाया जायेगा ताकि लखनऊ एवं वाराणसी में स्थित एयर कारगो काम्पलेक्स के साथ-साथ देश एवं प्रदेश के अन्य एयर कारगो काम्पलेक्स से भेजे जाने वाले ऐसे निर्यात उत्पादों जिनकी स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, को भी शामिल किया जायेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य रु0 2.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता में वृद्धि करते हुए प्रति निर्यातक इकाई प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख की अधिकतम सीमा तक आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

(7.1.5) विद्युत कर के रूप में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि उ0प्र0 सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में समायोजित की जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में आने वाली कमी को राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(7.1.6) एक मेगावाट से अधिक स्वीकृत विद्युत भार वाली इकाइयों को Open access से विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(7.1.7) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत पेटेन्ट, ट्रेडमार्क तथा जी.आई. पंजीकरण प्राप्त किये जाने हेतु तथा इस दिशा में जागरूकता पैदा करने वाली संस्थाओं/संगठनों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिये जायेंगे तथा प्रत्येक जीआई हेतु Tag प्राप्त करने के लिए एक अलग सेल का गठन किया जायेगा।

(7.1.8) प्रस्तावित नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(7.1.9) **प्रदेश के** प्रत्येक जनपद में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य ''उ0प्र0 निर्यात

अवस्थापना विकास योजना'' हेतु प्राविधानित धनराशि से ही वित्त पोषित किया जायेगा।

8. निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य आनुषंगिक क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।

(8.1) प्रस्तावित नीति में भारत सरकार/राज्य सरकार की Negative List में सम्मिलित इकाइयों को कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

9. <u>निर्यातको को उनके आयात/निर्यात वाले कंसाइन्मेन्ट के निर्बाध परिवहन हेतु ग्रीन कार्ड निर्गत किए जाएंगे</u>

9.1 <u>अर्हता-</u>

(9.1.1) ऐसे निर्माण कर्ता/उत्पादक या भारत सरकार के Exim पालिसी के अन्तर्गत परिभाषित शत-प्रतिशत ईओयू या जिन्हें सीमा शुल्क विभाग द्वारा ग्रीन चैनल्स की सुविधा दी गई हो ।

(9.1.2) निर्यातक जिनका विगत तीन वर्षो का औसत वार्षिक निर्यात टर्न ओवर रू0 1.00 करोड़ या अधिक का हो ।

(9.1.3) ऐसी इकाईयां जिन के उपर किसी प्रकार का कर्ज 6 माह से अधिक का बकाया न हो तथा कोई मुकदमा विचाराधीन न हो ।

(9.1.4) कर अपवंचन या फ्राड के मामले मे कभी भी डिफाल्टर न हो ।

(9.1.5) स्वतः निर्धारण द्वारा कर अदायगी मे तत्पर होना ।

(9.1.6) पी.एफ. धनराशि जमा करने मे तत्परता ।

10. <u>सुविधाऐं</u>

10.1.1 ग्रीनकार्ड धारक के प्रस्तावो का राज्य के सभी विभागो द्वारा त्वरित निस्तारण किया जायेगा।

10.1.2 ग्रीनकार्ड धारक के माल वाहक वाहनों का चैक पोस्ट पर न्यूनतम निरीक्षण होगा तथा उन्हे अनावश्यक रूप से नही रोका जायेगा।

10.1.3 बिना किसी अवरोध के उन्हे स्टैचुटरी फार्म उनकी मॉग पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10.1.4 कार्ड धारको की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शिकायतो का विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

10.1.5 राज्य सरकार के समस्त विभागो से संबधित लाइसेंस/परमीशन/कम्प्लायेन्स/नवीनीकरण आदि मामलो हेतु एकल खिड़की प्रणाली ।

11. इंडिया **ब्राण्डइक्विटी फण्ड से अधिकाधिक निर्यातक इकाईयों को आच्छादित किया जाना-**

उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाले उत्पादों/सेवाओं को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फाउंडेशन के अन्तर्गत प्रदेश की अधिकाधिक निर्यातक इकाईयों को लाभान्वित कराने हेतु हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

12. **निर्यातको हेतु मार्केट रिसर्च तथा डाटा बेस तैयार करना-**

निर्यातको हेतु मार्केट रिर्सच तथा डाटा बेस तैयार करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के स्तर पर रू0 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष का एक फण्ड सृजित किए जाने का प्रावधान किया जायेगा। इस फण्ड से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा विभिन्न निर्यात सवंर्धन परिषदों तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से अध्ययन कराते हुए डेटाबेस तैयार किया जायेगा ताकि निर्यातकों को रीयल टाइम डेटा डिसिमिनेशन एवं मार्केट इंटेलीजेंस का लाभ प्राप्त हो सके।

13. **सेवा क्षेत्र से निर्यात हेतु प्रोत्साहन**-प्रदेश से सेवा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सेवाओं को चिन्हीकृत करते हुए उनके विकास हेतु अनुकूल परिवेश का सृजन किया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित चैम्पियन सर्विसेस

सेक्टर स्कीम अन्तर्गत सम्यक् प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित नोडल केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेगें। प्रदेश के सर्वाधिक निर्यात सम्भावनाओं वाले सेवा क्षेत्रों मे विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से क्षमता विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठयक्रमो के संचालन को प्रोत्साहित किया जायेगा-

a- नर्सिंग पाठ्यक्रम

b- केयर गिवर्स पाठ्यक्रम

c- आयुष तथा वेलनेस प्रशिक्षण

d- तकनीकी क्षमता विकास प्रशिक्षण

e- पर्यटन तथा आतिथ्य सेवाएँ

f- शैक्षणिक सेवाएँ

14.1 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस हेतु विभिन्न विभागो से समन्वय स्थापित करते हुए इन पाठ्यक्रमो का संचालन विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे क्षमता विकास प्रशिक्षणो के प्रोत्साहन के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी आने वाले व्यय का 75 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा वहन किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय पाठ्यक्रमों के निरूपण के पश्चात निकाला जायेगा। इन प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमो को आयोजित करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय क्षमता विकास निगम/एफ आईईओ/प्रशिक्षण देने वालें निजी क्षेत्रो से भी सहयोग लिया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त की जायेगी ताकि सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रमाण पत्रों के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु अर्ह हो सकें।

14.2 आई.टी क्षेत्र में बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु बिजनेस फैसिलिटेशन फोरम की स्थापना की जायेगी।

14.3 आई.टी. तथा आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को प्रतिभागिता पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

14.4 जेवर एयरपोर्ट, डेडीकेटैड फ्रेट कोरिडोर आदि के आस-पास लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे।

14.5 कारगो हैण्डलिंग एजेण्ट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को संस्थागत रूप प्रदान करने हेतु अनुकूल परिवेश का सृजन किया जायेगा।

14.6 प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मेलों में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

15. <u>निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण</u>-

15.1 जनपद स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के जनपद स्तरीय कार्यालय के रूप में इस भांति विकसित किया जायेगा ताकि यह कार्यालय एवं इनमें तैनात अधिकारी/कर्मचारी जनपद को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

15.2 उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद को इस भांति सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि परिषद निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकार के नॉलेज पार्टनर के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सके तथा राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन से सम्बन्धित संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक्सपोर्ट्स कम्युनिटी तथा राज्य सरकार के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य कर सके।

15.3 निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े हुए कार्मिकों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सम-सामयिक दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों/रिफेशर्स कोर्सेज का अनिवार्य रूप से आयोजन/प्रतिभाग कराया जायेगा।

15.4 उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को उपायुक्त उद्योग के साथ-साथ उपायुक्त निर्यात के रूप में भी जाना जायेगा।

16. **<u>क्षमता विकास</u>**- उद्यमिता विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो/उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्यात सम्भावनाओं वाले क्षेत्रो को चिन्हित कर क्षमता विकास कार्यक्रमो का संचालन किया जायेगा।

17. निर्यात के क्षेत्र में ''बेस्टप्रैक्टिसेज से निर्यातकों को परिचित कराने हेतु क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

18. **<u>उ0प्र0 कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019</u>** –उ0प्र0 सरकार द्वारा कृषि आधारित निर्यात को बढावा देने तथा कृषको की आय को दूना करने के उद्देश्य से उ0प्र0 कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 घोषित की गई है। उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 द्वारा कृषकों की आय को दूना करने तथा कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को अंगीकृत कर सकेगी जो उ0प्र0 कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित हैं।

18.1 पशुक्रय-विक्रय हेतु पशु ई-हाटपोर्टल विकसित किया जाना, निर्यातोन्मुखी इकाईयों में नर भैंसा उत्पादन पर इन्सेन्टिव की व्यवस्था तथा प्रदेश को फुट-माउथ-डिजीज मुक्त किये जाने हेतु रोग मुक्त क्षेत्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।

18.2 खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित निर्यातक इकाईयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञ सेवाओं के हायर किये जाने पर वित्तीय सहायता का प्राविधान किया जायेगा।

18.3 आर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से मार्केट स्टडी कर समस्त भागीदारों के मध्य आंकड़ों का सम्प्रेषण करते हुए उनमें निर्यात सामर्थ्य का विकास किया जायेगा।

18.4 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य मानकों के अनुरूप उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यकतानुरूप जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

19. प्रस्तावित नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन, संशोधन एवं परिमार्जन मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।